

राजस्थान सरकार
न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : महावीर प्रसाद शर्मा, तहसीलदार

मिसल संख्या : 37/2018

किस्म मुकदमा :

राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 03.08.18

निर्णय दिनांक : 13/8/2018

सरकार जरिये पटवारी हल्का

बनाम पेमाराम पुत्र नाथूराम

सरगोठ

जाति कुम्हार नि. पलाड़ा

-: उनवान :-

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनुपस्थित प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का सरगोठ द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पेमाराम पुत्र नाथूराम जाति कुम्हार नि. पलाड़ा ने ग्राम हनुमानपुरा के खसरा नम्बर 1040 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटीस जारी किये किया गया। नोटिस की प्रति राजूराम कुमावत ने प्राप्त की।


अप्रार्थी द्वारा जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना - पत्र में उल्लेखित तथ्यों की पुष्टि हो सके एवं न ही विधिक साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा ग्राम हनुमानपुरा के आराजी राज खसरा नम्बर 1040 कुल रकबा 0.37 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता में से रकबा 0.05 हैक्टर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.30 रु का पच्चास गुणा से राशि रु0 15/- अक्षरे पन्द्रह रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है।

पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी वगे भौके से बेदखल
कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावें । आरोपित
की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाइ जावे ।

पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो ।

निर्णय आज दिनांक 13/8/2019 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी
कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।


(महाधर प्रसार शर्मा)
तहसीलदार कुचामन सिटी
जिला नागौर -राज0